

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी - मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

उनवान

रामकिशन

ब-ना-म

राज0 सरकार आदि

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

मुकदमा नम्बर :- 02 / 2025 GCMS No. 2025 / 10

निर्णय दिनांक :- ...28.08.2025.....


वादी की ओर से श्री हेमराज सिंह एडवोकेट की व प्रतिवादीगण सं. 2 से 9 की ओर से श्री तरुण कुमार एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ...28.08.2025..... को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

“अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम दलौता तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 47 व खाता संख्या 48 में वादी का दर्ज नाम “पवनकुमार पुत्र जीता” के स्थान पर “राम किशन पुत्र जीता राम” दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त खातों की शेष प्रविष्टि यथावत् रहेंगी।”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ...28.08.2025... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा दी गई।




(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

